संख्या : 1322/69-1-97-01(एल.सी.एस.)/96

प्रेषक,

श्री सुबोध नाथ झा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नागर विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 1997

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग

विषय : स्वच्छकार विमुक्ति योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्वच्छकार विमुक्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु "सुलभ इन्टरनेशनल स्वयं सेवी संस्था" को कार्यदायी/नोडल एजेंसी नामित किये जाने से संबंधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः 689/69-1-97-01 (एल.सी.एस.)/96, दिनांक 10 अप्रैल, 1997 के क्रम में अभिकरण के पत्र संख्या–50/69/(नौ)/97, दिनांक 14 अगस्त, 1947 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छकार विमुक्ति योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, लक्ष्य को समयांतर्गत प्राप्त करने तथा योजना को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य नागर विकास अभिकरण को योजना के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि अभिकरण द्वारा सीधे कार्यदायी/नोडल एजेंसी को निम्नांकित शर्तों के अधीन अवमुक्त की जायेगीः–

1. संस्था को कार्य आरम्भ करने हेतु निर्माण लागत/स्वीकृत आगणन की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जाय।
2. संपूर्ण निर्माण कार्य का 40 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 45 प्रतिशत धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में दी जाय।
3. जब संपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण हो जाये तब नियमानुसार जांच कार्यपूर्ण होने पर 05 प्रतिशत की धनराशि की अवमुक्त की जाय।

(2) योजना के कार्यान्वयन के संबंध में यथावश्यक निदेश राज्य नागर विकास अभिकरण द्वारा जारी किये जायेंगे और अभिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देशों की प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुबोध नाथ झा)
प्रमुख सचिव।

स्वच्छकार विमुक्ति योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या **1322/69-1-97-01** (एल.सी.एस.)/**96** दिनांक **28-8-97** के अनुपालन में राज्य नागर विकास अभिकरण द्वारा जारी निर्देशों की प्रति।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
जनपद–

विषय : केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित स्वच्छकार विमुक्ति योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक स्वच्छकार विमुक्ति योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की समयान्तर्गत प्राप्ति हेतु शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु निम्नलिखित कार्यकारी निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं–

1. लाभार्थियों की सूची–

इस योजना के अन्तर्गत चयनित नगरों में स्थानीय निकाय द्वारा नोडल एजेन्सी के सहयोग से लाभार्थियों की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची को संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित किया जायेगा। सत्यापन के पश्चात स्थानीय निकाय द्वारा लाभार्थियों की सूची की एक प्रति राज्य नागर विकास अभिकरण उ.प्र. को प्रेषित की जायेगी एवं एक प्रति नोडल एजेन्सी को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु सौप दी जायेगी तथा एक प्रति डूडा को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जायेगी। सर्वे एवं लाभार्थियों के चयन के कार्य में नोडल एजेन्सी द्वारा निकाय कर्मियों का सहयोग निःशुल्क किया जायेगा।

2. लाभाथियों के चयन हेतु पात्रता–

(अ) इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले लाभार्थी की वार्षिक आय गरीबी रेखा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ब) लाभार्थियों के चयन में महिला अभ्यार्थियों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

(स) नोडल एजेंसी द्वारा इस क्षेत्र का निःशुल्क प्रचार, प्रसार के विभिन्न माध्यमों को अपनाते हुए किया जायेगा और लाभार्थियों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र भरवाये जायेंगे।

3. वित्त पोषण व्यवस्था-संसाधनों की व्यवस्था–

(अ) इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले शौचालयों के लिए लाभार्थियों को निम्न प्रकार से वित्त पोषण की व्यवस्था की गयी है–

भारत सरकार द्वारा अनुदान– 45 प्रतिशत

हडको के माध्यम से ऋण– 50 प्रतिशत

कुल लागत में लाभार्थी द्वारा दिये जाने वाले/अंशदान –5 प्रतिशत

(ब) जो लाभार्थी अनुदान के अतिरिक्त समस्त धनराशि अर्थात् लागत का 55 प्रतिशत स्वयं वहन करने में सक्षम हो उन्हें ऋण लेने की कोई बाध्यता नहीं होगी। ऐसे लाभार्थियों से कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व अंशदान के रूप में 55 प्रतिशत धनराशि स्थानीय निकाय द्वारा जमा करायी जायेगी। नोडल एजेंसी लाभार्थी के यहां निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व स्थानीय निकाय एवं लाभार्थी के मध्य स्टाम पेपर एवं निर्धारित अनुबन्ध पत्र पर अनुबन्ध तीन प्रतियों में करायेगी तथा क्रमांक एक पर उल्लिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(स) स्थानीय निकाय और लाभार्थियों के मध्य अनुबन्ध हो जाने के पश्चात् नोडल एजेंसी लाभार्थी के यहां निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।

(द) कार्यदायी/नोडल एजेंसी का दायित्व होगा कि कार्य की लागत सूडा द्वारा स्वीकृति प्रशासनिक/वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति सीमा के अन्तर्गत हो। किसी भी कारण से यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो संबंधित स्थानीय निकाय की संस्तुति एवं सूडा की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

(य) जिन नगरों में सीवर व्यवस्था लागू है, वहां जहां तक सम्भव हो सीवर के साथ जोड़ा जाये जिससे शौचालयों की लागत कम से कम हो। सीवर संयोजन एवं लीच पिट वाले शौचालयों का आगणन अलग-अलग प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(र) चयनित लाभार्थियों के अंशदान की निर्धारित धनराशि संबंधित निकाय के स्वच्छकार विमुक्ति योजना के पृथक खाते में जमा करनी होगी। इस धनराशि को स्थानीय निकाय को राज्य नागर विकास अभिकरण उ.प्र. को शीघ्रातिशीघ्र हस्तानान्तरित करना होगा।

4. ऋण की वसूली–

(अ) योजना के अधीन लाभार्थियों को दिये गये ऋण की वसूली 10.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से त्रैमासिक किश्तों में 7 वर्षों में की जायेगी। समय से ऋण की अदायगी करने पर ब्याज से 0.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। किश्तों में ब्याज एवं मूलधन सम्मिलित होगा।

(ब) ऋण की वसूली स्थानीय निकाय के माध्यम से की जायेगी।

(स) यदि ऋणी ऋण की किश्त देने में चूक करते है या अनुबन्ध की किसी शर्त का उल्लंघन करते है तो ऋण मय ब्याज के भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जा सकता है।

(द) लाभार्थियों से प्रथम किश्त की वसूली जो निर्माण पूर्ण होने पर देय होगी,

समय से सुनिश्चित की जाये।

(य) ऋण की वसूली से प्राप्त धनराशि पूर्ण विवरण के साथ प्रत्येक माह सूडा मुख्यालय को प्रेषित करने का दायित्व संबंधित स्थानीय निकाय का होगा।

5. प्रगति आख्या–

इस योजना की मासिक प्रगति आख्या नोडल एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 7 तारीख को प्रस्तुत की जायेगी। निकाय द्वारा उक्त मासिक प्रगति आख्या के सत्यापन के पश्चात् इसकी प्रति राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. को प्रेषित की जायेगी।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र

इस धनराशि का पूर्ण समायोजन उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित संबंधित स्थानीय निकाय से हस्ताक्षरित कराकर डूडा के प्रति हस्ताक्षर के अधीन सूडा को उपलब्ध कराया जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस.एन. झा)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ.प्र. शासन।
2. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण।

(एस.एन. झा)
निदेशक।

स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत स्थानीय निकाय एवं लाभार्थी के मध्य द्विपक्षीय अनुबन्ध पत्र का प्रारूप।

यह अनुबन्ध आज दिनांक तद्नुसार शक् सम्बत् को श्री/श्रीमती/ आयु वर्ष, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी नगर/विकास खण्ड तहसील जिला जिन्हें आगे लाभार्थी कहा गया है। (प्रथम पक्ष एवं स्थानीय निकाय) (जिन्हें आगे निकाय कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया है।

लाभार्थी नगर विकास खण्ड तहसील जिला में स्थित अपने भवन/नगर पालिका परिषद/महापालिका द्वारा आवंटित भवन सं. पर स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत जल प्रवाहित शौचालय निर्मित करवाने का इच्छुक है, जिसके लिए उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर रू. का ऋण एवं रू. अनुदान के रूप में स्वीकृत किये गये है। अतः यह अनुबन्ध निम्नांकित का साक्षी है–

1. लाभार्थी अपने उपर्युक्त उल्लिखित आवासीय भवन में स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत जल प्रवाहित शौचालय निर्मित कराने का इच्छुक है।

2. लाभार्थी उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक रूप से दुर्बल आय वर्ग की श्रेणी में आता/आती है।

3. लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. यदि कालान्तर में कभी भी ऐसा पाया जाता है कि लाभार्थी आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग की श्रेणी में नहीं आता है/आती है एवं उक्त श्रेणी की पात्रता नहीं रखता/रखती है, तो राज्य सरकार, राज्य नागर विकास अभिकरण, स्थानीय निकाय उ.प्र. को यह अधिकार होगा कि वे लाभार्थी के आवास में जल प्रवाहित शौचालय पर ऋण व अनुदान से हुए व्यय की सम्पूर्ण धनराशि, लाभार्थी से ब्याज सहित एक मुश्त वसूल कर ले और ऐसी वसूली पर लाभार्थी कोई भी दावा प्रस्तुत कर सकने का हकदार नहीं होगा।

5. उक्त वचन लाभार्थी के उत्तराधिकारियों एवं विधिक प्रतिनिधियों पर भी समानतया प्रभावी रहेगा।

6. लाभार्थी को अभिकरण द्वारा रू. का ऋण दिया जायेगा, उस पर 10.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देय होगा समय पर किश्तों की अदायगी करने पर 0.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा देय तिथि तक किश्त न अदा होने पर 2.5 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज वसूल किया जायेगा।

7. लाभार्थी को ऋण स्वीकृति की तिथि से ब्याज देय होगा।

8. लाभार्थी द्वारा ऋण का भुगतान त्रैमासिक किश्तों में जिसकी प्रथम दो किश्तें

केवल ब्याज की तथा 26 किश्तें मूलधन व ब्याज की सम्मिलित करते हुए होगी, किया जायेगा।

9. लाभार्थी अभिकरण द्वारा दिये गये ऋण की वापसी की किश्तों की धनराशि स्थानीय निकाय के स्तर पर स्वच्छकार विमुक्ति योजना के लिए खोले गये खाते में संबंधित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी/महापालिका के परियोजना निदेशक के निर्देशानुसार राज्य नागर विकास अभिकरण, स्वच्छाकार विमुक्ति योजना के नाम से खोले गये खाते में निर्धारित अवधि में अपने उत्तरदायित्व पर जमा करेगा।

10. यदि लाभार्थी द्वारा ऋण की अदायगी के रूप में दो या उससे अधिक किश्तें अदेय रहती है तो निकाय को यह अधिकार होगा कि वह लाभार्थी से ऋण की बकाया धनराशि ब्याज सहित एकमुश्त तत्काल वसूल कर ले।

11. लाभार्थी अनुबन्ध की इस शर्त का उलंघन करता है तो राज्य सरकार तथा अभिकरण को अधिकार होगा कि वह लाभार्थी के वहां जल प्रवाहित शौचालय के निर्माण कार्य पर व्यय की गयी ऋण की धनराशि ऋण पर देय ब्याज की धनराशि एवं समस्त अनुदान की धनराशि उससे एक मुश्त रूप से तत्काल वसूल कर ले।

12. लाभार्थी को जल प्रवाहित शौचालय के निर्माण हेतु नगद धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। इसके स्थान पर शौचालय का निर्माण कार्य स्थानीय निकाय/ डूडा/सूडा द्वारा नामित कार्यदायी संस्था से कराया जायगा।

13. यदि लाभार्थी इस अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उलंघन करता है तो लाभार्थी द्वारा देय समस्त धनराशि मय ब्याज के लाभार्थी पर बाध्यकारी होगी, जो भू-राजस्व के बकाया के रूप में लाभार्थी से वसूल की जायेगी।

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप इस अनुबन्ध के दोनों पक्षों ने अनुबन्ध पत्र पर ऊपर लिखित दिनांक एवं वर्ष को हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षरित	हस्ताक्षरित
लाभार्थी	स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी (प्रतिनिधि अभिकरणों के लिए)
1.	
साक्षी	
1.	1.
2.	2.

स्वच्छकार विमुक्ति योजना में सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनायजेशन को सूडा द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि का डूडा के लेखों में लेखांकन निम्नवत "जरनल" तथा "लेजर्स" में किया जाना वांछित है।

(क) जरनल में–

1. स्वच्छकार विमुक्ति योजना (डी.आर.).....
द्वारा (टु) राज्य नागर विकास अभिकरण.....
(सूडा द्वारा पत्रांक.....दिनांक..... द्वारा सुलभ इन्टरनेशनल सीधे अवमुक्त धनराशि का समायोजना लेखा किया गया)।

2. सुलभ इन्टरनेशनल (डी.आर.).....
द्वारा (टु) स्वच्छकार विमुक्ति योजना.....
(सूडा द्वारा सीधे अवमुक्त धनराशि का डूडा लेखों में पुस्तांकन हेतु समायोजना लेखा किया गया)।

(ख) लेजर्स में–

उपरोक्त समायोजन इन्ट्रीज की पोस्टिंग लेजर्स के संबंधित खातों में तदनुसार की जायेगी। प्रथम प्रकरण में स्वच्छकार विमुक्ति योजना के खाते में डेविट तथा सूडा खाते को क्रेडिट किया जायेगा। द्वितीय मामले में सुलभ इन्टरनेशनल खातें को डेविट तथा स्वच्छकार विमुक्ति योजना के खाते को क्रेडिट किया जायेगा।